

IV 47 / 17



उत्तर प्रदेश

SH

X 628755

11.10.17

ट्रस्ट-पत्र

सैय्यद मोहम्मद मदनी अशरफी जीलानी पुत्र सैय्यद मोहम्मद निवासी अशरफपुर किछौछा, परगना बिड़हर तहसील जिला-अम्बेडकरनगर का स्थायी निवासी हूँ। हमारी बड़ी हार्दिक इच्छा है, कि एक ट्रस्ट कायम करूँ जिससे समाज सेवा एवं शिक्षा का उत्थान हो सके एवं ग्रामीण परिवेश के गरीब छात्र-छात्राओं की उच्च स्तर तक की शिक्षा ग्रहण कराया जा सके जिसके लिए हम अक्सर गणमान्य व्यक्तियों से चर्चा एवं परामर्श किया करते हैं। इसके लिए हमने एक ट्रस्ट बनाने की इच्छा रखी जिसका नाम शैखुल इस्लाम ट्रस्ट ग्राम अशरफपुर किछौछा परगना बिड़हर तहसील-टाण्डा, जिला-अम्बेडकरनगर का होगा। आज दिनांक 11.10.2017 को हम इस ट्रस्ट की घोषणा करते हैं हमने इस नेक कार्य के लिए मुबलिय 5000/- रुपये बहक शैखुल ट्रस्ट ग्राम अशरफपुर किछौछा परगना बिड़हर तहसील-टाण्डा, जिला-अम्बेडकरनगर के नाम ले जो इस ट्रस्ट की स्थायी सम्पत्ति होगी। इस ट्रस्ट का नाग कार्यालय के उद्देश्य कार्यक्षेत्र एवं कार्य अवधि निम्न प्रकार होगी।

- 1- ट्रस्ट का नाम : शैखुल इस्लाम ट्रस्ट
- 2- ट्रस्ट का प्रधान कार्यालय : रसूलपुर दरगाह तहसील-टाण्डा, जनपद-अम्बेडकरनगर।
- 3- ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण भारत वर्ष।

11.10.17

NOTE 9

भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

FIFTY
RUPEES

Rs. 50



भारतीय गैर न्यायिक

Normal and
small
12/11/24



भारतीय गैर न्यायिक

Small
12/11/24

उत्तर प्रदेश UTTAR

(2)

BM 625209

4 ट्रस्ट का उद्देश्य :

- 1- ट्रस्ट द्वारा हिन्दी, उर्दू, अंग्रेजी, अरबी एवं फारसी भाषाओं के माध्यम से प्राइमरी स्तर से लेकर उच्च स्तर तक की शिक्षा की व्यवस्था करना एवं संचालन व प्रबन्धन करना।
- 2- ट्रस्ट द्वारा दर्से आलिया व दर्से निजामिया के प्रताविर सही इस्लामी तालीम व तरबियत का इन्तेजाम करना।
- 3- ट्रस्ट द्वारा हिफजे कुरान, हदीस एवं फिकह की शिक्षा देना एवं इस्लाम और शआइरे इस्लाम की हिफाजत करना।
- 4- ट्रस्ट द्वारा मुस्लिम अल्पसंख्यक बच्चों एवं बच्चियों के लिए दीनी व दुनियावी तालीम एवं प्रशिक्षण के लिए निःशुल्क मदरसे खोलना।
- 5- ट्रस्ट द्वारा भारत की संविधान की धारा 29 में दिये गये अधिकारों के अन्तर्गत अल्पसंख्यक चरित्र वाले स्कूल विद्यालयों एवं सभी प्रकार के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना करना।
- 6- ट्रस्ट द्वारा भारत की संविधान की धारा 30 (1) के अन्तर्गत अल्पसंख्यक चरित्र वाले स्कूल विद्यालयों सभी प्रकार के शैक्षिक स्थानों की स्थापना करना एवं उसका संचालन व प्रबन्धन करना।



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(3)

29AA 212021

- 7- ट्रस्ट द्वारा अल्पसंख्यक विभाग, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, सी0बी0एस0ई0 बोर्ड दिल्ली, यू0पी0बोर्ड, इलाहाबाद द्वारा सुनिश्चित पाठ्यक्रमों के अनुसार निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना।
- 8- ट्रस्ट द्वारा केन्द्रीय व माध्यमिक विद्यालय आदि का संचालन व प्रबन्धन करना।
- 9- ट्रस्ट द्वारा मेडिकल, मेडिकल चिकित्सालय, इंजीनियरिंग मैनेजमेन्ट एवं अन्य व्यवसायिक शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना, प्रबन्धन करना एवं संचालन करना।
- 10- ट्रस्ट द्वारा प्रतिभाशाली छात्र/छात्राओं के समुचित शिक्षा व्यवस्था में भरपूर मदद करना।
- 11- ट्रस्ट द्वारा लाइब्रेरी खोलने की व्यवस्था करना तथा उसका संचालन एवं प्रबन्धन करना।
- 12- ट्रस्ट द्वारा ज्ञानवर्धक हितार्थ, पुस्तकालय एवं वाचनालय की व्यवस्था करना।
- 13- ट्रस्ट द्वारा खानकाह का निर्माण करवाना, गरीब बेसहारा लोगों की व्यवस्था व लंगर करवाना।
- 14- ट्रस्ट द्वारा बैतुल माल की स्थापना करना एवं संचालन करना।
- 15- ट्रस्ट द्वारा धार्मिक उत्सव/उर्स का सारा खर्च वहन करना।
- 16- कमेटी या कमेटियां बनाना उन्हें अधिकार देना, तहलील करना और उसके

محمد حسن خیرانی



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH


(4)

29AA 212022

इन्तेजामी उमूर के लिए लाहेअम्ल में लाना मुनतखब करना और मंसूख करना।

7- ट्रस्ट के धन का विनियोग:-

- 1- ट्रस्ट के धन का विनियोग आयकर विभाग की धाराओं एवं अन्य सम्बन्धित प्राविधानों के उद्देश्यों के लिए किया जायेगा।
- 2- उपयुक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए धन संग्रह करना, व्यय करना, सहायता लेना व देना। ब्याज रहित ऋण लेना व देना। जायेदाद खरीदना व बेचना, निर्माण करना रहन रखना। लीज पर देना व लेना। बैंक व्यवहार करना एवं जो भी आवश्यक कार्य हो उन्हें करना।
- 3- ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु देश-विदेश से धन ऋण क्रय विक्रय विनियम पश्य किराये पर या अन्य किसी प्रकार से भूखण्ड या कोई चल या अचल सम्पत्ति प्राप्त करना।
- 4- ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ट्रस्ट किसी भी चल या अचल सम्पत्ति का विक्रय प्रबन्ध हस्तान्तरण विनियम बन्धक, पट्टे, गिरवी या किसी भी भांति उपयोग में लाना।





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(5)

29AA 212023

5- अपने समस्त कार्य हेतु ट्रस्ट के धन का विनियोग करना जो ट्रस्ट के उद्देश्यों के हित में हो अर्थात् लाभकारी हो।

8- ट्रस्ट मण्डल:-

- 1- ट्रस्ट का एक स्थायी मण्डल होगा जिसमें सदस्यों एवं पदाधिकारियों की संख्या-3 या 3 से ज्यादा नहीं होगी।
- 2 ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं मंत्री मण्डल का कार्यकाल आजीवन होगा।
- 3- ट्रस्ट के अध्यक्ष या मंत्री के मरणोपरान्त अध्यक्ष व मंत्री द्वारा नामित अध्यक्ष या मंत्री होगा।
- 4- यदि अध्यक्ष या मंत्री द्वारा जीवन काल में कोई नामित नहीं किया गया है तो उनकी मृत्यु के बाद उनका बड़ा लड़का होगा। लड़का न होने की दशा में लड़कियां न होने की दशा में लड़कियां तथा उसके बाद लड़कियों की संताने होंगी।

9- ट्रस्ट की सदस्यता:-

- 1- हर वह स्त्री व पुरुष जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है एवं किसी न्यायालय द्वारा दण्डित न किया गया हो, पागल या दिवालिया घोषित न हो

محمد مدنی شرفی جیل




उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(6)

29AA 212024

व सदस्यता शुल्क जमा करने पर अध्यक्ष एवं मंत्री के अनुमोदन से सदस्य बन सकता है।

- 2- ट्रस्ट के सदस्यों की सदस्यता समाप्त करने का अधिकार मंत्री को होगा।
- 3- जब किसी सदस्य पर गमन व धोखाधड़ी व घपले को दोष सिद्ध होने पर सदस्यता समाप्त हो जायेगी।
- 4- जब वह पागल हो जाये, जब वह सदस्यता से त्याग पत्र दे दे।
- 10- ट्रस्ट मण्डल के अधिकार एवं कर्तव्य:-
 - 1- पूर्व मीटिंग की कार्यवाही की स्वीकृत देना।
 - 2- मैनेजिंग ट्रस्टी/मैनेजर अध्यक्ष/मंत्री द्वारा रखी गयी वार्षिक रिपोर्ट पर विचार कर उसे पास करना।
 - 3- आगामी बजट पर चर्चा करना उसे पास करना।
 - 4- ट्रस्ट की नियमावली में अध्यक्ष एवं मंत्री द्वारा किये गये संशोधन का पास करना।
 - 5- किसी ऐसे मामले के बारे में कार्यवाही करना जिसे कार्यवाही हेतु पेश किया गया है।





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(7)

29AA 212025


6- किसी विशेष आवश्यकता के मंत्री की सहमति से सह कमेटी बनाना।

ट्रस्ट मण्डल के अधिकार एवं कर्तव्य:-

- 1- ट्रस्ट मण्डल के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक कार्य करना।
- 2- ट्रस्ट की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना/करवाना।
- 3- ट्रस्ट की चल व अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना।
- 4- ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हर वह कार्य करना जिससे ट्रस्ट का लाभ।

रिक्त स्थानों की पूर्ति:-

ट्रस्ट मण्डल के अन्तर्गत समय से पहले अचानक किसी पदाधिकारी का स्थान रिक्त होने पर उसकी पूर्ति मैनेजिंग ट्रस्टी/मंत्री के निर्णय से बचे हुए कार्यकाल के लिए ट्रस्ट मण्डल से की जायेगी एवं कार्यकाल पूरा होने पर उसकी नियुक्ति उस पर आजीवन अथवा व्यक्ति का स्थान खाली हुआ है उसके स्थान पर नियुक्त मैनेजिंग ट्रस्टी/मंत्री के निर्णय से की जायेगी। अध्यक्ष की मृत्यु के बाद उनका कानूनी वारिस उसका दस्तक पुत्र सैय्यद हमजा अशरफ होगा।





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(8)


29AA 212026

11- ट्रस्ट के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य:-

- 1- बिल एवं बाउचरों पर हस्ताक्षर मंत्री का होगा।
- 2- कर्मचारियों की नियुक्ति पदोन्नति एवं सेवानुवृत्ति मंत्री की सहमति से करना।
- 3- ट्रस्ट के वित्तीय मामलों में निर्णय मंत्री की सहमति से करना।
- 4- ट्रस्ट का कार्यालयीय प्रबन्ध करना।
- 5- पारित बजट के अन्तर्गत व्यय की स्वीकृति मंत्री की सहमति से करना।
- 6- ट्रस्ट के निर्णयों को कार्यान्वित करना।
- 7- ट्रस्ट के बैठकों की सूचना ट्रस्ट के सदस्यों को देना।
- 8- ट्रस्ट से जुड़ी प्रत्येक कमेटीयों को तैयार करना।
- 9- पक्ष विपक्ष मुकदमों की पैरवी मंत्री की सहमति से करना।
- 10- चल व अचल सम्पत्ति की देख-रेख व सुरक्षा करना।

12- अध्यक्ष के कर्तव्य :-

- 1- अध्यक्ष की उम्र 80 वर्ष की है, इसलिए अध्यक्ष का सारा कार्य मंत्री के द्वारा होगा।
- 2- सभी प्रकार के बैठकों की अध्यक्षता करना।





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(9)

29AA 212027

- 3- बैठक में शान्ति व्यवस्था कायम करना।
 - 4- बैठक के लिए दिनांक एवं समय तथा स्थान में परिवर्तन करना।
 - 5- कर्मचारियों की नियुक्ति एवं पदोन्नति करना।
 - 6- बैंक खाते का संचालन संयुक्त हस्ताक्षर या मंत्री के हस्ताक्षर से केवल करना।
 - 7- ट्रस्ट की ओर से पत्र व्यवहार करना।
 - 8- पक्ष विपक्ष के मुकदमों की पैस्वी करना।
 - 9- चल व अचल सम्पत्ति की देख-रेख करना।
- 13- मंत्री के अधिकार एवं कर्तव्य :-
- 1- ट्रस्ट के बैठकों की सूचना प्रबन्धकारिणी को देना।
 - 2- संस्था की कार्य लिपिबद्ध करना।
 - 3- ट्रस्ट की बैठकों का आयोजन करना।
 - 4- ट्रस्ट के विकास हेतु दान, अनुदान, चन्दा प्राप्त करना।

14- ट्रस्ट का कोष :-

ट्रस्ट का कोष किसी भी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीयकृत बैंक में ट्रस्ट के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा जिसका आहरण मंत्री के हस्ताक्षर से होगा।

محمد عزیز جیلانی



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(10)

29AA 212028

15- ट्रस्ट के आय-व्यय का लेखा परीक्षक :-

ट्रस्ट के आय व्यय का परीक्षण/आडिट किसी योग्य आडिटर द्वारा वर्ष में एक बार कराया जायेगा, जिसकी नियुक्ति मंत्री की सहमति से किया जायेगा। वित्तीय वर्ष-01 अप्रैल से 31 मार्च होगी।

16- ट्रस्ट के नियमों में संशोधन की प्रक्रिया :-

ट्रस्ट के नियमों एवं विनियमों में यदि किसी संशोधन की आवश्यकता हो तो इसके लिये बोर्ड मैनेजिंग ट्रस्टीज की बैठक करके इस आशय का प्रस्ताव सदस्यों के बहुमत से पारित कर सकते हैं। ऐसे संशोधित नियमों एवं विनियमों का मंत्री द्वारा समक्ष प्राधिकारी के समक्ष पूरक ट्रस्ट डीड को रजिस्टर्ड करायेगा।

17- ट्रस्ट द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का दायित्व :-

ट्रस्ट द्वारा होने वाली अदालती कार्यवाही की पैरवी मंत्री या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा जी जायेगी।



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(11)

29AA 212029

18- दायित्व :-

ट्रस्ट की प्रदत्त ऋण की अदायगी उसकी उपयोगिता सभी सदस्यों का सामूहिक एवं पृथक-पृथक रूप से होगा और आवश्यकता पड़ने पर बाहरी दायित्व के लिए सदस्य अपनी व्यक्तिगत सम्पत्ति जमानत में देंगे।

19- ट्रस्ट के पदाधिकारियों के नाम पते, पद तथा ट्रस्ट में कार्यभार सौंपा गया है। क्रम संख्या पिता/पति का नाम पद पता उम्र :-

1- सैय्यद मोहम्मद मदनी अशरफरी जिलानी पुत्र सैय्यद मोहम्मद अध्यक्ष, ग्राम-अशरफपुर किछौछा परगना-बिड़हर तहसील-टाण्डा, जनपद-अम्बेडकरनगर।

2- सैय्यद हमजा अशरफ दत्तक पुत्र सैय्यद मोहम्मद मदनी अशरफी जिलानी (मंत्री) ग्राम-अशरफपुर किछौछा, परगना-बिड़हर, तहसील-टाण्डा, जनपद-अम्बेडकरनगर 29 वर्ष।

3- सैय्यदा इरम फातिमा पत्नी सैय्यद हमजा अशरफ, ग्राम-अशरफपुर किछौछा, परगना-बिड़हर, तहसील-टाण्डा, जनपद-अम्बेडकरनगर 22 वर्ष।

محمد بن عزيز جلال



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(12)

24AA 132981

मु

محمد بن خازن جیلانی

श्री

Notul adn Ashraf

510 Mohammed Kalsoom

40 Ashrafpur Kichhuchhe

Pargana Bidhar

Tansil. Tanda.

श्री

Jagdish Lal. S/O Banstidhar

R/O Dehga Mulewadpur

Pargana and Tahsil Tander

दस्तावेज लेखक का नाम राजेश कुमार यादव

प्रमाणित मर्यादा 16/01-02 दिनांक 31.3.18 तक विहित

जिला और स्थान का उल्लेख टांडा अन्वेषण भाग

नो गैर फीस नियमानुसार रूपया प्राप्त किया

दस्तावेज लेखक का हस्ताक्षर

नं० --- क्रमनं --- सानं०

रामू कुमार अशरफ
सां नं० 204 टाण्डा इ० - -

यास पत्र

5,000.00

न्यास की रशि

100.00

80

180.00

24

प्रीत रजिस्ट्री,

नकल व प्रति मुल्क

योग

पृष्ठों की संख्या

श्री सी० मो० मदनी अशरफ जीलानी
पुत्र श्री सी० मोहम्मद

व्यवसाय कृषि

निवासी स्थायी अशरफपुर किछीछा, टाण्डा, अम्बेडकर नगर
अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय दिनांक 11/10/2017 समय 12:59PM
वले निबन्धन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

हरीश चतुर्वेदी
उपनिबंधक टाण्डा

अम्बेडकर नगर

11/10/2017

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने यजमन

न्यासी

श्री सी० मो० मदनी अशरफ जीलानी

पुत्र श्री सी० मोहम्मद

पेशा कृषि

निवासी अशरफपुर किछीछा, टाण्डा, अम्बेडकर नगर

ने निष्पादन स्वीकार किया।

जिनकी पहचान

मुरल ऐन अशरफ

मा० कलीम

पेशा कृषि

निवासी अशरफपुर किछीछा, टाण्डा, अम्बेडकर नगर

व

राजेश कुमार व० न० टाण्डा

पेशा दस्तावेज लेखक

निवासी

ने की।

प्रत्यक्षता भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिखे गये हैं।



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

हरीश चतुर्वेदी
उपनिबंधक टाण्डा

अम्बेडकर नगर

11/10/2017

नं० --- कीमत --- सा० नं०

रामु कुमार अग्रवाल
सा० नं० 204 टाण्डा हा० --

न्यासी

Registration No.: 47

Year: 2017

Book No.: 4

0101 सै० मो० भदनी अशरफी जीलानी

सै० मोहम्मद

अशरफपुर किल्ला, टाण्डा, अम्बेडकर नगर
कृषि



